निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 03/2023
दायरा दिनांकः—13.01.2023
निर्णय दिनांकः— 23.12.24

उनवान

मनोंहर सिंह उम्र 33 साल पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राधेश्याम उम्र 59 साल पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. चंचल उम्र 30 साल पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मोनू उम्र 28 साल पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. टिंकु उम्र 25 साल पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. नटीबाई उम्र 30 साल पत्नि दीपक जाति मीणा निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. रानी बाई उम्र 50 साल पत्नि राधेश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 23.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री मुकेश कुमार शर्मा — प्रार्थी
2. श्री टीकमचन्द ढोडरिया— अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 71 की खसरा नंबर 52 रकबा 11 बीघा, खसारा नंबर 53 की रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा वाके माल उदपुरिया तहसील छबडा जिला बारा राज० एवं खाता संख्या 115 की खसरा नंबर 612 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खसरा नंबर 613 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 तादादी 6 बीचा भूमी वाके माल भीलवाडानीचा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

छबडा जिला बांरा राज० में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता, प्रतिवादी कम 5 के स्वसुर, तथा प्रतिवादी कम 6 के पति प्रतिवादी कम 1 राधेश्याम के सामलाती खातेदारी में दर्ज रिर्काड जमाबंदी चली आ रही है। आज से लगभग 34 वर्ष पूर्व अप्रार्थी कम 1 का विवाह प्रार्थी की मां कजोडीबाई के साथ हिन्दु रितिरिवाजानुसार सप्तपदी से सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात गोणा–चोक देकर वादी की मां एवं अप्रार्थी कम 1 की पत्नी कजोडीबाई को आति–जाति कर दीया था। विवाह के लगभग 2 वर्ष बाद अप्रार्थी कम 1 के सहवास से अप्रार्थी कम 1 की पूर्व पत्नी कजोडीबाई ने एक पुत्र को जन्म दीया जो प्रस्तुत वाद में प्रार्थी (मनोहर सिंह) है। प्रार्थी के जन्म के बाद अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी की मां को छोड दीया, इसके पश्चात प्रार्थी की मां कजोडीबाई ने अप्रार्थी कुम 1 अपने पति राधेश्याम के विरूध खर्चा प्राप्त करने बाबत माननीये न्यायालय ए.सी.जे. एम. साहब छबडा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, एवं कुछ समय तक अप्रार्थी क्रम 1 अपने पति के ले जाने का इन्तजार किया, किन्तू 5 साल बाद जब अप्रार्थी कम 1 में प्रतिवादीया कम 6 से पुर्नविवाह कर लिया तो प्रार्थी की मां कजोडीबाई की दाम्पत्य सबंधो की पुर्नस्थपना की आश खत्म हो गई। इसके पश्चात वादी की मां ने अपने जीवन के लम्बे समय को देखते हुए नाता–प्रथा से विवाह कर लिया। पार्थना पत्र मद नंबर 2 में वर्णित कृर्षि आराजी खाता संख्या 71 की खसरा नंबर 52 रकबा 11 बीघा, खसारा नंबर 53 की रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा वाके माल उदपुरिया तहसील छबडा जिला बारा राज० एवं खाता संख्या 115 की खसरा नंबर 612 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खसरा नंबर 613 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 तादादी 6 बीघा भूमी वाके माल भीलवाडानीचा तहसील छबडा जिला बांरा राज० अप्रार्थी कम 1 के बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही है, जो पुस्तेनी है। एवं प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 का वैध पुत्र है। इस कारण मिताक्षरा विधी अनुसार उक्त कृर्षि भूमी में प्रार्थी का हिस्सा खाता संख्या 71 में 1/8 का है। एवं खाता संख्यां 115 में हिस्सा 1/16 का है। क्योंकि मिताक्षरा विधि अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार सम्पत्ति में हिस्सेदारी हासिल हों जाति हैं। प्रार्थी की शादी हो चुकी है, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निवास करता है। प्रार्थी के पास अपना व अपने बच्चों का लालन पालन करने हुतू आय का कोई साधन नहीं है। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी के पिता है। अप्रार्थीकम 1 ने अपनी पुश्तेनी पूरी जायदात पर कबज कर रखा है। और उक्त मद नंबर 1 में वर्णित भूमी में से कुछ भी हिस्सा प्रार्थी को नहीं दे रखा है। जिससे प्रार्थी का अपना व अपने बच्चों का लालन पालन करना दुभर हो गया है। प्रार्थी ने कई बार बटवारा करने बाबत अपने पिता से निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी कम 1 हर बार बटवारा करने कि बात कह कर टालमटोल करता रहा है। प्रार्थी बटवारा करावा कर विभाजित शुदा भूमि के अपने हिस्से को प्रार्थी अपने नाम पृथक खातेदारी में दर्ज करवा कर अपने हिस्से भूमियो का सिचाई स्त्रोत बढ़ा कर अधिक उपजाउ बनाना चहाता है। और राजस्थान सरकार द्वारा कृर्षि से सम्बंधित लागू की जा रही योजनाओ से लाभान्वित होना चाहता है। उक्त उद्धेश्य की पूर्ती में वादी ने प्रतिवादी कम 1 ता 6 से कई बार भूमीयों का विभाजन मोके पर कब्जे व रिकार्ड अनुसार हिस्से को अपने नाम पृथक खातेदारी में दर्ज कराने का कई बार अनुरोध किया किन्तु अप्रार्थी गण 1 ता 6 अपनी ताकत व राजनीती का रोब दिखाकर प्रार्थी को डरा धमका कर बटवारा नही करना चाहते है। और ना ही प्रार्थी को उक्त भूमी में कोई हिस्सा देना चाहते है। दिनांक 8/12/2022 को प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1 ता 6 से मद नंबर 1 में वर्णित भूमी का बटवारा कराकर खातेदारी में दर्ज करवाने बाबत अनुरोध किया तों अप्रार्थी कम 1 त 6 ने प्रार्थी के साथ

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ाली गलोच की और मारपीट करने पर आमादा हो गये। प्रार्थी मद नंबर 1 में वर्णित भूमि से अपने हिस्से तक बटवारा करा कर खातेदारी में दर्ज कराने का वैद्य अधिकारी है। अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जान आवश्यक है। कि वह प्रार्थी को उसके हिस्से तक भूमी का बटवारा कर प्रार्थी के कब्जे में सुपूर्द कर दे तथा प्रार्थी को उसके हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त करने दे। एवं अप्रार्थी क्रम 1 को पाबंद किया जावे कि वह मद नंबर 2 में वर्णित कृषि भूमि में से बिना बटवारा करवाये भूमी का बैचान न करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खख्या 115 नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 71 नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2051–54 खाता संख्या 54 नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 57 नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2059–62 खाता संख्या 33 नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 32 नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 68 पेश की गई। अप्रार्थीगण की ओर से रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 15.02.2003 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है अप्रार्थी क्रम 1 का विवाह 34 वर्ष पूर्व प्रार्थी की मां कजोडी बाई के साथ हुआ था। विवाह के लगभग 2 वर्ष बाद अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नि कजोडी बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जो प्रार्थी मनोहर सिंह है प्रार्थी के जन्म के बाद अप्रार्थी राधेश्याम ने प्रार्थी की मां व पत्नि कजोडी बाई को छोड दिया। लगभग 5 साल बाद अप्रार्थी क्रम 1 राधेश्याम ने अप्रार्थी क्रम 6 रानी बाई से पूर्न विवाह कर लिया राधेश्याम द्वारा पूर्न विवाह करने के बाद प्रार्थी की मां कजोडी बाई ने भी नाता प्रथा से विवाह कर लिया। विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही है विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 का वैध पुत्र है मिताक्षरा विधि अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्स होता है अप्रार्थी क्रम 1 का सम्पूर्ण पुश्तैनी आराजी पर कब्जा कर रखा है प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी नही दे रखी है पुश्तैनी/पैत्रक सम्पत्ति में प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है अप्रार्थी क्रम 1 भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तथा अप्रार्थी क्रम 1 पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी को रहन बेचान न करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नही है प्रार्थी का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा नही है विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी क्रम 1 ने यह भूमि दिनांक 15.02.2023 को जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र से अप्रार्थी क्रम 6 रानी बाई को दान कर दी है इस दान पत्र के अस्तित्व में रहतें हुए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है प्रार्थी मनोहर सिंह अप्रार्थी क्रम 1 राधेश्याम का पुत्र नही है प्रार्थी द्वारा सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार यह वाद प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2051–54 व सम्वत् 2055–58 में रघुनाथ पुत्र हीरा के खातेदारी में दर्ज थी। नकल जमाबन्दी ग्राम उदपुरिया सम्वत् 2059–62 सम्वत् 2063–66 में धनजी,गोपाल पुत्र रघुनाथ पत्नि दाखा पुत्रिया रघुनाथ जाति मीना सा0देह भीलवाडा नीचा दर्ज है नामान्तरण संख्या 209 दिनांक 11.09.1998 से मृतक रघुनाथ के स्थान पर धनजी, गोपाल पुत्र पन्नी दाखा, पुत्रिया रघुनाथ जाति मीना का नाम दर्ज हुई। नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 115 में राधेश्याम पुत्र रामगोपाल, गीता बाई पत्नि रामगोपाल हिस्स 1/4 दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता है कि विवादित आराजी पैत्रक/पुश्तैनी हे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड पहचान पत्र ई–श्रम कार्ड में प्रार्थी मनोहर सिंह के पिता का नाम राधेश्याम अंकित है। प्रस्तुत नकल दान पत्र दिनांक 15.02.2023 के अनुसार राधेश्याम अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि ग्राम उदपुरिया व ग्राम भीलवाडा नीचा की अपनी पत्नि रानीबाई के नाम रजिस्टर्ड दान पत्र करवाया गया। प्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.01.2023 को दावा पेश किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ने दावा प्रस्तुत होने के एक माह बाद अपनी पत्नि के नाम भूमि दान पत्र करवा दी गई। चूंकि वादी के अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जाएगा परन्तु वाद बहुलता को रोकने एवं वादी/प्रतिवादी के अधिकरों के संरक्षण के लिए रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम उदपुरिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 52 रकबा 11 बीघा खसरा नम्बर 53 रकबा 20.04 बीघा एवं ग्राम भीलवाडा नीचा के खसरा नम्बर 612 रकबा 3.15 बीघा खसरा नम्बर 613/801 रकबा 3.15 बीघा में अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 को पाबन्द किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा